(22)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(बईजलास पीठासीन अधिकारी बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 04 / 2022 दिनांक 03.11.2022

अनवान

1. श्रीमति प्यारी बाई पत्नि स्व0 श्री मांगीलाल भील निवासी बानसी
2. सुश्री आशा पिता स्व0 श्री मांगीलाल भील ना.बा.बविलायत् सरपरस्त संरक्षक माता श्रीमति प्यारी बाई पत्नि मांगीलाल भील नि. बानसी तहसील बड़ीसादड़ी

—वादीगण

।।बनाम।।

1. नानूसिंह पिता पेमा जाति मीणा निवासी केवलपुरा
2. श्रीमति प्रतापी बाई पत्नि पेमा जाति मीणा निवासी केवलपुरा
3. श्रीमति सीता पिता पेमा जाति मीणा निवासी केवलपुरा
4. पंकज पिता अम्बालाल मीणा ना.बा.विलायत् सरपस्त सरक्षक माता श्रीमति बाबुड़ी पत्नी अम्बालाल जाति मीणा निवासी केवलपुरा
5. श्रीमति बाबुड़ी पत्नी अम्बालाल जाति मीणा निवासी केवलपुरा
6. श्रीमति कविता पिता मांगीलाल जाति भील निवासी बानसी हाल मुकाम धाकड़ों का खेड़ा
7. श्रीमति सीता पिता मांगीलाल जाति भील निवासी बानसी हाल मुकाम राणीमालिया
8. सुश्री रेखा पिता मांगीलाल जाति भील निवासी बानसी तहसील बड़ीसादड़ी
9. श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188, 209 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि—खतोनी संख्या नई 53 की आराजी खसरा नं. 16 रकबा 0.5000है0 लगानी 3.50 रूपया, भूमि राजस्व ग्राम कालीभीत पटवार सर्कल अमीरामा तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है। इन आराजीयात् के भू—प्रबंधक मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी नं. 10 रकबा 2 बीघा 06 विस्वा है। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबन्दी एवं मिलान क्षैत्रफल की नकल संलग्न है। इस आराजी को वाद पत्र में आगे चलकर सुविधा के लिहाज से वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।कि वादी कमांक 1 के पति वादी कमांक 2 एवं प्रतिवादी कमांक 6 से लगायत् 8 के पिता श्री मांगीलाल पिता मगनीराम जी भील निवासी बानसी थे उनका स्वर्गवास हो गया है जिनके विधिक वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 6 से लगायत 8 है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी के साबिक आराजी नं. 10 रकबा 2 बीघा 06 विस्वा है उक्त भूमि सम्वत् 2056 से 2059 में प्रतिवादी कमांक 1 से 3 के पिता व प्रतिवादी कमांक 2 के पति श्री पेमा पिता उदा जी मीणा प्रतिवादी कमांक 4 के दादा जी तथा प्रतिवादी कमांक 5 के ससुर जी तथा मृतक खातेदार ... पूर्व खातेदार च... के पति श्री नाराण पिता उदा जी मीणा के नाम ... पूर्व खातेदार नाराण ... पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 16:46:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

उदा जी मीणा से वादग्रस्त आराजी वादी कमांक 1 के पति एवं वादी कमांक 2 तथा प्रतिवादी कमांक 6 से लगायत् 8 के पिता मांगीलाल पिता मगनीराम जी जाति भील ने दिनांक 28/06/2001 को बिल एवज् 20,000/–रू. अक्षरे बीस हजार रूपया में जरिये बिकाव नामा के खरीद की। विक्रेता नाराण, पेमा पिता उदा जी मीणा ने विक्रय की राशि प्राप्त कर बिकाव नामा का विधिवत् पंजीयन स्व. श्री उप पंजीयक बड़ीसादड़ी के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 05/07/2001 को मांगीलाल पिता मगनीराम जी जाति भील निवासी बानसी के नाम पर पंजीबद्ध करवाया। वक्त खरीद से वादग्रस्त आराजी का उपयोग–उपभोग खरीददार श्री मांगीलाल पिता मगनीराम जी भील करते थे।मांगीलाल जी का स्वर्गवास हो गया।जिनके विधिक वारिसान् एवं उत्तराधिकारी वादीगण तथा प्रतिवादी कमांक 6 से लगायत् 8 है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 6 से लगायत् 8 स्व0 मांगीलाल जी के विधिक वारिसान् एवं उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के निर्विघ्न रूप से शान्तिपूर्वक करते चले आ रहे है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् को श्री मांगीलाल पिता मगनीराम जी भील ने विधिवत् प्रकिया के जरिये मूल खातेदार नाराण, पेमा पिता उदा जी मीणा से खरीद की उस पर कब्जा प्राप्त किया किन्तु मांगीलाल जी अनपढ़ थे जिनको कानून की कोई जानकारी नही थी जिससे वे वादग्रस्त खरीद शुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम पर दर्ज नही करवा सके। उक्त भूमि विक्रेता नाराण, पेमा पिता उदा जी मीणा के नाम पर थी, विक्रेता नाराण, पेमा पिता उदा जी मीणा के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजीयात् उनके विधिक वारिसान् प्रतिवादी कमांक 1 से लगायत् 5 के तथा मूतक खातेदार श्रीमति कमली पिता नाराण, श्रीमति चान्दी बाई पत्नि नाराण मीणा के नाम पर विरास्त से दर्ज हुई। खातेदार श्रीमति कमली व श्रीमति चान्दी का स्वर्गवास हो गया है। उनके वारिस प्रतिवादी कमांक 4 व 5 है। वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में भी वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 6 से लगायत् 8 मौके पर श्री मांगीलाल पिता मगनीराम जी भील के देहान्त के बाद से उक्त भूमि का विरास्त से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। इनके अतिरिक्त इस भूमि पर किसी अन्य का कोई कब्जा काश्त नही है। वादीगण वादग्रस्त आराजीयात् की खातेदारी की घोषणा वादीगण अपने एवं प्रतिवादी कमांक 6 से लगायत् 8 के नाम पर रजिस्टर्ड बिकाव नामा के आधार पर कराने के कानूनन अधिकारी है। मृतक श्री मांगीलाल पिता मगनीराम जी भील ने खातेदार श्री नाराण, पेमा पिता उदा जी मीणा निवासी केवलपुरा जागीर से सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी खाते की भूमि खरीद की एवं उसका भारतीय पंजीयन अधिनियम के अनुसार विधिवत् पंजीयन करवाया। जिससे वक्त खरीद से उक्त भूमि के मालिक एवं स्वामी श्री मांगीलाल पिता मगनीराम जी भील हो गये। उक्त भूमि के सभी स्वत्व एवं अन्तरण सम्बंधी अधिकार उनमें निहित हो गये थे। जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से की भूमि का अन्तरण विक्रय/बिकाव के माध्यम से मरता है तो उसका उस भूमि में विक्रय के दिन से कोई स्वत्व एवं अधिकार नही रहता है। जिससे वादग्रस्त आराजीयात् में वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 6 से लगयात् 8 मांगीलाल जी के वारिस होने से खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। इस आधार पर खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् की खातेदारी की घोषणा वादीगण तथा प्रतिवादी क[illegible] पर राजस्व रिकार्ड में कराई जाकर प्रतिवादी कमांक 1 से लागयत् 5 त[illegible] खातेदार कमली पिता नाराण, चान्दी पत्नी नाराण मीणा का नाम [illegible] जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। वादग्रस्त आराजी[illegible] प्रतिवादी कमां[illegible] से लगायत 5 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है इसलिये प्रतिवादी कमांक 1 से लगायत् 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आरा[illegible]त् के किसी हिस्सा विशेष को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 15:46:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

रहन, बय, बक्षीश, या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करे न करावे तथा वादीगण के हिस्से एवं स्वामित्व की भूमि में दखल अन्दाजी न करे न करावे। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वादीगण को अपने हिस्से की आराजी पर यथावत् काबिज रहने देवे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। बरौज पेशी प्रतिवादी नं. 1 से लगायत् 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।एवं प्रतिवादी कमांक 6 से लगायत 8 ने स्वयं अधिवक्ता मुकेश जति गोस्वामी ने न्यायालय में उपस्थित होकर वकालत नामा के साथ इकबालीया जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी कमांक 1 से लगायत् 5 के विरूद्व एक पक्षीय आदेश पारित होने तथा प्रतिवादी कमांक 6 से लगायत् 8 के द्वारा इकबालीया जवाब प्रस्तुत होने से तनकीयात की आवश्यकता नही होने से कायम नहीं की गई।

शहादत वादी में शपथ पत्र पी.डब्लू 1 वादीया श्रीमति प्यारी बाई ,व गवाह –शपथ पत्र पी.डब्लू 2 भेरूलाल पिता चौखा मेघवाल, 3 शपथ पत्र पी.डब्लू 3 प्रकाश चन्द्र पिता भेरूलाल मेघवाल के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये। वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जिसमें ग्राम कालीभीत पटवार सर्कल केवलपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 53 प्रदर्श –1, रजिस्टर्ड बिकाव नामा प्रदर्श – 4 जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 2059 की खाता संख्या 38 प्रदर्श –2 मिलान क्षैत्रफल की नकल प्रदर्श – 3 है।

वकील उभयकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी नं. 16 रकबा 0.5000 है0 जिसके भू प्रबधक के अनुसार साबिक आराजी नं. 10 रकबा 2 बीघा 06 विस्वा है। उक्त भूमि पूर्व में नाराण,पेमा पिता उदा मीणा के नाम पर खातेदारी थी।उन्होने उक्त भूमि रजिस्टर्ड बिकाव नामा के जरिये मांगीलाल पिता मगनीराम जी भील को दिनांक 28/06/2001 को विकय की जिसका पंजीयन श्री नाराण, पेमा पिता उदा मीणा ने स्वयं उप पंजीयक कार्यालय बड़ीसादड़ी में दिनांक 05/07/2001 को रूबरू गवाहान् की उपस्थिति में मांगीलाल पिता मगनीराम जी भील के नाम पर पंजीबद्ध करवाया। तथा मांगीलाल का स्वर्गवास हो गया है। जिनके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 6 से लगायत् 8 है। विकेता नाराण, पेमा पिता उदा मीणा ने उक्त भूमि सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विकय की तथा उसका भारतीय पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन करवाया। इसलिये उक्त भूमि मांगीलाल ने विधिवत् प्रकिया के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया इसलिये वादीगण का वाद डिकी किया जाने का निवेदन किया। तथा प्रतिवादी अधिवक्ता ने इसका कोई खण्ड़न नही किया तथा उन्होने वाद डिकी किये जाने में अपनी सहमति बताई। वाद वादी डिकी किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया।पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया।अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादी की बहस पर चिन्तन व मनन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों प्रदर्श अनुसार उक्त भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2056 से [illegible] में [illegible] मीणा के नाम पर थी। बिकावनामा अनुसार नाराण, पेमा पिता उदा जी[illegible] उक्त भूमि मांगीलाल पिता मगनीराम जी भील को विकय की [illegible]बित है उक्त विकित भूमि का नामान्तरण केता के नाम [illegible] रिकार्ड में [illegible] हुआ है। साक्षीयों से भी सिद्ध होता है कि वादग्रस्त आराजी ना[illegible] से मांगीलाल पिता मगनीराम जी भील ने खरीद की है। विकय पत्र को ना मानने [illegible] कोई वैधानिक आधार नही होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 15:46:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

(23)

से वाद वादी समग्र विश्लेषण के आधार पर वादीगण तथा प्रतिवादी कमांक 6 से लगायत् 8 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना व प्रतिवादी कमांक 1 से लगायत 5 व मृतक खातेदार कमली पिता नाराण, चान्दी पत्नी नाराण मीणा का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं। कि ग्राम कालीभीत पटवार सर्कल केवलपुरा की आराजी खसरा नं. 16 रकबा 0.5000 है0 भूमि की खातेदारी की घोषणा वादीगण तथा प्रतिवादी कमांक 6 से लगायत् 8 के नाम की जाती हैं।प्रतिवादी कमांक 1 से लगायत् 5 का नाम व मृतक खातेदार कमली पिता नारायण, चान्दी पत्नि नारायण मीणा का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किया जावे। वादीगण धारा 188 आर0टी0एक्ट की दाद सिद्ध करने में असफल रहे इसलिये को खारिज की जाती है।इसी आश्य का पर्चा डिग्री अलग से मुर्तिब किया जावें।

निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर आज दिनांक 03.11.2022 को सुनाया गया।

(बिन्दु बाला राजावत)RAS
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 16:46:52 IST
Reason: SelfAttested

(26)

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 4/2022 वादपत्र धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट.

1. श्रीमती प्यारी बाई पत्नी स्व. मांगीलाल भील नि. बांसी तहसील बडीसादडी
2. सुश्री आशा पिता स्व. मांगीलाल भील ना.बा. सरपरस्त संरक्षक माता प्यारी बाई पत्नी मांगीलाल भील नि. बांसी तहसील बडीसादडी

– वादीगण

बनाम

1. नानूसिंह पिता पेमा मीणा नि. केवलपुरा तहसील बडीसादडी
2. श्रीमती प्रतापी बाई पत्नी पेमा मीणा नि. केवलपुरा
3. श्रीमती सीता पिता पेमा मीणा नि. केवलपुरा
4. पंकज पिता अम्बालाल मीणा ना.बा. सरपरस्त संरक्षक माता श्रीमती बाबुडी पत्नी अम्बालाल मीणा नि. केवलपुरा
5. श्रीमती बाबुड़ी पत्नी स्व. अम्बालाल मीणा नि. केवलपुरा
6. श्रीमती कविता पिता मांगीलाल भील नि. बांसी हा. मु. धाकड़ो का खेड़ा तह. कानोड़
7. श्रीमती सीता पिता मांगीलाल भील नि. बांसी हा.मु. राणीमालिया तह. बडीसादडी
8. सुश्री रेखा पिता मांगीलाल भील नि. बांसी
9. भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील अनिल सोनावा तथा प्रतिवादीगण की ओर से एम.के. गोस्वामी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा कालीभीत पटवार हल्का केवलपुरा की आराजी नं. 16 रकबा 0.5000 हैक्ट. भूमि की खातेदारी की घोषणा वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक 6 से लगायत 8 के नाम की जाती है। प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत 5 का नाम व मृतक खातेदार कमली पिता नारायण, चान्दी पत्नी नारायण मीणा का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किया जावे। वादीगण धारा 188 आर.टी.एक्ट. की दाद सिद्ध करने में असफल रहे इसलिये यह दाद खारिज की जाती है।

इस वाद के खर्चे...X... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.....X को दी जावे।

यह आज दिनांक 03.11.22 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2022/147 दिनांक : 9.11.2022

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि शक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.02.21 15:46:52 IST
Reason: SelfAttested

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी